तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 71/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/111) बअनवान सुनिल कुमार व अन्य बनाम ब्रहमसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

सुनिल कुमार व अन्य

बनाम

ब्रहमसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री जोगसिंह भाटी, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

आदेश

दिनांक 22 मई 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर उत्तर, वर्तमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 859/2023 अनवान ब्रहमसिंह बनाम रामगोपाल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 मई 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है। अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट के बीच में एक सहमति विलेख दिनांक 23-08-2006 को लिखा गया, जिसमें खसरा नंबर 854 की भूमि स्व. भूरजी के वारिसों के बंट में रखी गई तथा वर्तमान में उक्त खसरा की सम्पूर्ण भूमि स्व. भूरजी के वारिसान्/अपीलांट्स के कब्जे काश्त में है। अपीलान्ट्स के द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 71/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/111) बअनवान सुनिल कुमार व अन्य बनाम बहमसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वक्त बंटवाडा चार दिवारी कर फाटक लगा दी गई थी जो आज भी मौजूद है। साक्ष्य हेतु रंगिन फोटो प्रस्तुत किये जा रहे है। पूर्व में दिनांक 23-08-2006 को सहमति विलेख के द्वारा आपसी बंटवाडा किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से पद संख्या 4 में अंकित किया गया कि खसरा नंबर 854 स्व. भूरजी के वारिसों के बंट हक हिस्सा व कब्जा में दी गई है। इसी प्रकार से सभी खातेदारो को अलग अलग खसरा की भूमि हिस्सेवार बंटवाडा किया गया। इसी कारण से सहखातेदार पुसाराम के द्वितीय वारिस स्व. हजारी जी ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की 4 बीघा भूमि मे से खसरा नंबर 391 में 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 16-09-06 को जरिये रजिस्ट्री बेचान की गई जो प्रतिवादी संख्या 80 कमला पत्नी रामचन्द्र को बैची गई। इसी प्रकार से अणची पत्नी प्रेमसिह के द्वारा अपने हिस्से की 4 बीघा भूमि खसरा नंबर 254 में से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 24-12-09 को बेचान की गई तथा प्रतिवादी गंगादेवी पत्नी स्व. श्री हुकमसिह, गुमान पुत्र हुकमसिह, किशोर पुत्र हुकमसिह, यशोदा पत्नी गणपतसिह, मन्जु पुत्री गणपतसिह, ललित पुत्र गणपतसिह, कुलदीप पुत्र गणपतसिह, नीता पुत्री गणपतसिह, माधुसिह पुत्र हजारी, संतोष पुत्री गुलाब बेबी पुत्री गुलाब के द्वारा दिनांक 8-10-2020 को जरिये रजिस्ट्री अपने हक हिस्से की भूमि खसरा नंबर 851 व 854 में बैचान किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा कभी कोई उतर एतराज व विरोध नही किया गया अर्थात् विरोध इसी कारण से नही किया गया कि पूर्व में बंटवाडा हो चुका था और बंटवाडे से सभी सहमत थे। इस प्रकार से उपरोक्त बंटवाडे की सहमति रेस्पोडेन्ट के वाद से स्पष्ट रूप से दर्शित होती है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विधान एवं संचिका के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि नोटिस रजिस्टर्ड ए/डी से भेजे जाये अथवा साधारण डाक से। नियमानुसार एक तरफा आदेश पारित करने पर न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड ए/डी से नोटिस भेजने के आदेश दिये जाने चाहिए, किन्तु न तो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा कभी नोटिस पेश किये गये और न ही न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 71/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/111) बअनवान सुनिल कुमार व अन्य बनाम बहमरसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा कभी अपीलांट्स को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियमों एवं सीपीसी में दिये गये प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली की तारीख पेशी दिनांक 09-11-2023 तथा 08-12-2023 की आदेशिकाओं पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है और इसी प्रकार से तारीख पेशी दिनांक 11-03-2024 दिनांक 12-03-2024 में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई हस्ताक्षर नही किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना मामले में निरंतर पेशीया दी जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 18-06-2024 की पालना में पत्रावली सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर को ट्रान्सफर कर दी गई, किन्तु पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 20-01-2025 तक पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ही नही की गई और रेस्पोंडेट्स कर्मचारियों से मिली भगत कर तारीख पेशी आगे से आगे लेते रहे और स्थगन आदेश को यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट्स के द्वारा अपने हिस्से पर मकान का निर्माण करवाया जा रहा है तथा आर.सी.सी. लगाने की तैयारी की जा रही थी, इसी दरम्यान हल्का पुलिस थाना मण्डोर द्वारा अपीलान्ट्स के काम को रुकवाया गया। तब सर्वप्रथम अपीलान्ट्स को आदेश दिनांक 17-05-2024 की प्रथम बार जानकारी दिनांक 24.02.2026 को हुई। तब अपीलांट्स द्वारा अविलंब अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 मई 2024 को अपास्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 71/2026(जी.सी.एम.एस. नंबर 2026/111) बअनवान सुनिल कुमार व अन्य बनाम ब्रहमसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेंट्स की पुंश्तैनी सहखातेदारी की भूमि होने से उसमें रेस्पो. का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत सहमति बंटवाड़े के दस्तावेज पर रेस्पोडेंट अथवा उनके पूर्वज के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। इस कारण उक्त दस्तावेज को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन करवाये बिना तथा बिना सक्षम अनुमति के गैर कृषि प्रयाजनार्थ निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका अधिकार अपीलांट्स को नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किये है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा विलंब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आघोपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 254 रकबा 5.14 बीघा, खसरा नंबर 391 रकबा 12 बीघा, खसरा नंबर 851 रकबा 08.13 बीघा, खसरा नंबर 854 रकबा 05. 03 बीघा ग्राम मण्डोर द्वितीय उभय पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि प्रतीत होती है। रेस्पो. संख्या एक से छः द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रकट होता हैं। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं चाराजोही का अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर